

## **Allotment of Shop in New Grain market**

**84 Sh. DHARAM PAL GONDAR (Nilokheri) :**

Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state :-

- a) whether it is a fact that the shops had been allotted to the approximately 180 Commission Agents in the New Grain Market, Nissing in the year 2014 according to new policy rate fixed by the Government on which the CLU was imposed as well as the 35 percent profit amount was also imposed; and
- b) if so, the reasons for which CLU has been imposed on the abovesaid shops even after the CLU has not been implemented in this block ?

**JAI PARKASH DALAL, AGRICULTURE & FARMERS WELFARE MINISTER, HARYANA**

- a) Yes Sir;
- b) The provision of CLU charges i.e. License fees and Conversion charges was added in the reserve price calculation for preferential allotment of shops to the eligible traders as per approved formula circulated on 25.06.2012. However, the matter regarding CLU charges and saleable area of the market is under consideration with the Government.

## नई अनाज मण्डी की दुकानों का आबंटन

84 श्री धर्मपाल गोंदर (नीलोखेड़ी) :

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएं कि:—

(क) क्या यह तथ्य है कि सरकार द्वारा तय की गई नई नीति दर के अनुसार वर्ष 2014 में नई अनाज मंडी, निसिंग में लगभग 180 आढ़तियों की दुकानें आबंटित की गई हैं जिस पर सी.एल.यू. लगाया गया था साथ ही साथ 35 प्रतिशत लाभ राशि भी लगाई थी; तथा

(ख) यदि हां, तो इस ब्लॉक में सी.एल.यू. लागू न होने के बाद भी उपरोक्त दुकानों पर सी.एल.यू. लगाने के क्या कारण हैं?

जय प्रकाश दलाल, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, हरियाणा

(क) जी हां श्रीमान् ;

(ख) पात्र व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर दुकानों के आबंटन हेतु अनुमोदित सूत्र दिनांक 25.06.2022 के अनुरूप आरक्षित मूल्य निर्धारित करने हेतु सी.एल.यू. शुल्क यानी की लाइसेंस शुल्क व रुपांतरण शुल्क लिया गया है। हालांकि, सी.एल.यू. व बिक्री योग्य क्षेत्रफल को निर्धारित करने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है।